17 3/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादियागण उप0। बावजूद सम्यक तामील प्रतिवादी अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादियागण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया था कि वादियागण का सही नाम चन्द्रकला शर्मा पुत्री शिवसहाय एवं उमा देवी पुत्री शिवसहाय है, परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम क्रमशः चन्दा देवी पुत्री शिवसहाय एवं अंजू पुत्री शिवसहाय दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। वादियागण ने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, पेन कार्ड, बतौर साक्ष्य ललित पुत्र शिवसहाय का नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र एवं वादियागण क्रमशः चन्द्रकला पुत्री शिवसहाय एवं उमादेवी पुत्री शिवसहाय ने स्वंय का नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें वादियागण का नाम चन्द्रकला शर्मा पुत्री शिवसहाय एवं उमा देवी पुत्री शिवसहाय है। जिनसे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादियागण का नाम चन्दा देवी पुत्री शिवसहाय एवं अंजू पुत्री शिवसहाय अंकित है। वादियागण का कथन कि वादियागण का सही नाम क्रमशः चन्द्रकला शर्मा पुत्री शिवसहाय एवं उमा देवी पुत्री शिवसहाय है की पुष्टि आधार कार्ड, पेन कार्ड, बतौर साक्ष्य ललित पुत्र शिवसहाय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र एवं वादियागण क्रमशः चन्द्रकला पुत्री शिवसहाय एवं उमादेवी पुत्री शिवसहाय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र वादियागण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Breesh
Date: 2021.03.29 17:59:2
Reason: SelfAttested

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि खाता संख्या 243 ख. नं 426, 427, 431 कुल किता 3 पटवार हल्का चला तह. नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड में वादियागण नाम **चन्दा देवी पुत्री शिवसहाय एवं अंजू पुत्री**

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

शिवसहाय के स्थान पर कमशः चन्द्रकला शर्मा पुत्री शिवसहाय एवं उमा देवी पुत्री शिवसहाय दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। निर्णयानुसार डिकी मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:59:29 IST
Reason: SelfAttested